तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
24/6/24	हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी की बहस का विवेचन किया गया है:– प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की हस्तगत वाद में दर्ज भूमि के सम्बध में राजस्व मण्डल राजस्था अजमेर मे राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2020 व उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वार पारित निर्णय दिनांक 16.10.2008 को निरस्त करवाने के लिए अपील डिक्री /टीएएस/4078 सन 2020 अनवानी रामकुमार बनाम राजेन्द्र आदि व एक अन्य अपील संख्या 4079 सन 2020 अनवानी रामकुमार बनाम राजेन्द्र आदि जैरकार है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.05.2023 निर्धारित है उक्त दोनो अपील में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में वादग्रस्त भूमि के सम्बध में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है उक्त दावा से सम्बधित वादग्रस्त भूमि के सम्बध में पक्षकारों के मध्य राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर में यानि उच्च न्यायालय में दो अपील जैरकार है तथा दोनो अपीलों में स्थगन आदेश जारी है इसलिये खाता विभाजन का वाद नही चल सकता है ना ही किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जा सकता है। अपील को दावा की लगातार जारी प्रक्रिया माना जाता है जब तक अन्तिम रूप से निर्णय नही आ जाता तब तक अधिनस्थ न्यायालय को अपने यहॉ जारी प्रकरणों की कार्यवाही को स्टे रखी जानी आवश्यक है अन्यथा न्याय प्रक्रिया अनावश्यक बहुविविधता पैदा होती है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपीलों के निर्णय तक इस दावा की कार्यवाही को स्थगित रखने के आदेश फरमावें। वकील अप्रार्थी/वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जैरकार होना स्वीकार है लेकिन उक्त अपील में पक्षकार एव दावा में जैरकार पक्षकार अलग अलग है इसलिये राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का निर्णय का उक्त वाद पर कोई असर नही होगा उक्त जैरकार प्रकरण वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ है एवं दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के खिलाफ कोई इस्तदुआ नही है इसलिये इस वाद की कार्यवाही को किसी भी प्रकार से स्टे नही किया जा सकता है तथा वाद खाता तकसीम का है खाता तकसीम होने से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जैरकार प्रकरण के निर्णय से पक्षकारों के हितो पर कोई असर नही आता है इसहिलये वाद कार्यवाही स्टे किया जाना किसी भी प्रकार से उचित नही है अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी खारिज किया जाकर वाद में आगामी कार्यवाही की जावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि के सम्बध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मं अपील विचाराधीन है जिसे उभयपक्षों के द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील के अन्तिम निर्णय तक हस्तगत वाद की कार्यवाही स्थगित रखे तथा वादी/अप्रार्थी का कथन है हस्तगत वाद खाता विभाजन का जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व है अन्य के विरूद्व नही है इसलिये वाद की कार्यवाही स्टे नही किया जा सकता है दोनो पक्षों के कथन विरोधाभाषी है। प्रार्थी का कथन है राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश जारी है प्रार्थी के कथनों के विरोध	

उपखण्ड अधिकारी

में वादी/अप्रार्थी ने कोई कथन नही किया गया है अर्थात मौन स्वीकृति मानी जा सकती है अर्थात राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपीलों में स्थगन होना स्वीकार है जब राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील में स्थगन है तो यह न्यायालय खाता विभाजन की कार्यवाही किस प्रकार होगी।

खाता विभाजन के प्रकरण में सयुक्त खातेदारों की भूमि में दर्ज हक हिस्से अनुसार सभी का खाता विभाजन होगा इसलिये अनुतोष वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व नही माना जा सकता है सभी पक्षकारों के विरूद्व अनुतोष हस्तगत वाद में है।

न्यायालय में विचाराधीन वाद में किसी भी प्रकार का आदेश पारित कर भी दिया जाता है तो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थगन आदेश के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही सम्पादित नही होगी

हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि एव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण /अपील में वर्णित भूमि एक समान है एवं कुछ पक्षकार भी समान है तथा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील में स्थगन आदेश भी जारी किया जा चुका है जिसके कारण भी हस्तगत वाद में किसी प्रकार की कार्यवाही/आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उक्त विवेचन अनुसार हस्तगत वाद में वर्णित भूमि एव कुछ पक्षकार एक समान होने एव माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपीलों में स्थगन आदेश जारी होने के कारण हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण में आगामी कार्यवाही राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील में अन्तिम निर्णय पारित होने तक स्थगित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24/6/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर